

क्षीमान जी,

पटवारी रिपोर्ट

जॉच की गई ज़ाची हरि के खसरा संख्या 1187, 353, 269, 104 में नाम हरिलाल शर्मा, हरि पुत्र जीठा, हरिलाल पुत्र जीठ व हरिलाल पुत्र जीठा विरासत के नामा. संख्या 376 से दर्ज हो गया है जबकी ज़ाची के आधार नर्स, जन-आधार नर्स व नवदोहा महकमान मंत्र में हरि पुत्र जीठ दर्ज है जिससे ज़ाची का नाम हरि पुत्र जीठ कीमा जाना उचित होगा।

पर. (दिलवाड़ा)  
10/10/25

भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट  
मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के द्वारा दिलवाड़ी के विरासत नामा. सं. 376 व 20.1.15 से हरिलाल पुत्र जीठा एवं हरि पुत्र जीठा हो गया है, जिसे ज़ाची के आधार नर्स के अनुसार हरि पुत्र जीठ किया जाना उचित है।

10.10.25  
दिलवाड़ा

तहसीलदार की रिपोर्ट

पं. हं. की रिपोर्ट व भू. अ. नि. की लांच के आधार पर  
दुरुस्ती की जाते की अभिशंका की जाती है।

शिविर प्रभारी  
तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक/ 418

दिनांक:- 16-10-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू. अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंका अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम दिलवाड़ा तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2072 के खाता संख्या 1187, 353, 269, 104 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1	हरिलाल पुत्र जीठा	उपरोक्त खाता सं.		हरि पुत्र जीठ	उपरोक्त खाता सं.	
	हरि पुत्र जीठा	में वर्णित		हरि पुत्र जीठ	सं. में वर्णित	
	हरिलाल पुत्र जीठ	अनुशंका		हरि पुत्र जीठ	अनुशंका	
	हरिलाल पुत्र जीठा			हरि पुत्र जीठ		
	शेष खसरा			शेष खसरा		



क्रमांक:- 5740-41

दिनांक:- 16/10/25

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद, जिला अजमेर

उपस्थित :- तहसीलदार नसीराबाद नो. 4/10/25

आदेश